

उत्तराखण्ड फार्मसी काउन्सिल

फोन नं०- 0135-2608762

ई० मेल- pharmacycounciluk@gmail.com

पंजीकरण के नवीनीकरण से सम्बन्धित आवश्यक सूचना

उत्तराखण्ड फार्मसी काउन्सिल में पंजीकृत उन फार्मसिस्टों को सूचित किया जाता है, जिन्होंने अपने पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं करवाया है। वह 01 जनवरी 2018 से अपने पंजीकरण का नवीनीकरण करवा लें। पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए निम्न दस्तावेज फार्मसी काउन्सिल कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे-

1. मूल पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं स्वः प्रमाणित दो छायाप्रति (दोनों तरफ से),
2. रिनुवल कार्ड मूल(original), कार्ड न होने पर 500/रु० अतिरिक्त शुल्क,
3. आधार कार्ड की स्वः प्रमाणित छायाप्रति,
4. डिप्लोमा अथवा डिग्री की स्वः प्रमाणित छायाप्रति,
5. इण्टरमीडिएट अंक एवं प्रमाण पत्र की स्वः प्रमाणित छायाप्रति,
6. ए४- साइज का रु० 41/का डाक टिकट लगा स्वः पता लिखा लिफाफा,
7. दो रंगीन पासपोर्ट फोटो जो वर्तमान में खींची गयी हो,
8. फार्मसी के व्यवसाय का प्रमाण, यदि व्यवसाय में न हो तो शपथ पत्र (रु० 10/मूल्य का जिसकी भाषा काउन्सिल की वेबसाइट www.ukpcouncil.org पर उपलब्ध है।)
9. आवेदन फॉर्म K (शुल्क रु० 100/-) कार्यालय से उपलब्ध होगा,
10. पंजीकरण का नवीनीकरण शुल्क वर्षवार निम्न तरह होगा। शुल्क ड्राफ्ट द्वारा या ऑन लाइन खाता सं०- 36821630863(उत्तराखण्ड फार्मसी काउन्सिल), IFSC-SBIN0007893 पर जमा कर सकते हैं।

S.No.	Year of Registration or Valid Up	Due Renewal Fee (in Rs.)	Restoration (Late Fee)	Renewal Fee for 2018-2022 (in Rs.)	Total Rs.
1	2013	400	—	500	900
2	2014	300	—	500	800
3	2015	200	—	500	700
4	2016	100	—	500	600
5	2017	—	—	500	500

उपरोक्त के अतिरिक्त उन पंजीकृत फार्मसिस्टों का जिनका पंजीकरण का नवीनीकरण पांच अथवा दस वर्ष से अधिक समय से नहीं हुआ है, रजिस्ट्रार से सम्पर्क कर नवीनीकरण की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें।

नोट- पंजीकरण नवीनीकरण हेतु फार्मसिस्ट को स्वयं हस्ताक्षर करने हेतु काउन्सिल कार्यालय में उपस्थित होना होगा।

(एम०एल०जोशी)
रजिस्ट्रार